हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/8/17	पत्रावली आज बमुकाम कैम्प कोर्ट ग्राम पं. जाजीवाल गहलोत पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्वयम् उपस्थित जिन्होंने जाहिर किया है कि ग्राम जाजीवाल खिंचिया तह. जोधपुर की सरहद में स्थित विवाद ग्रस्त भूमि खसरा नं. 57 रकबा 5 बीघा . 19 बिस्वा मैंने श्री अन्नराज चोटिया पुत्र चुन्नीलाल से जरिये पंजिबद्ध दस्तावेज के खरीदी है। मौके पर मेरा कब्जा नहीं है और न ही मौके पर उक्त भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा जाहिर तथ्यों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई। चूंकि विवादग्रस्त भूमि मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज के नाम से दर्ज है। जिसका विक्रय नहीं हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर देकर पाबन्द किया गया है। परन्तु आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। हमारी विनम्र राय में विवादग्रस्त भूमि मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की है। जो मूल वाद के निर्णय तक खुर्दबुर्द न हो के दृष्टकोण से अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु ता फैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है। प्रकरण में तहसीलदार जोधपुर को विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 57 रकबा 5.19 बीघा का रिसीवर नियुक्त कर सरकारी तहवील में लिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। [signature] 25/8/17

सोनल कंवर
सरपंच
पंचायत, जाजीवाल गहलोत
पं. स. मण्डोर (जोधपुर)

कलक्टर ... (कास्ट ट्रेक्ट)

Scanned by CamScanner